न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/55/2019

अपीलार्थी — बनाम — **पदाभिहित अधिकारी**

प्रतापसिंह पुत्र श्री चन्दगीराम, जाति–चमार,
प्राधिकृत विनायक एसोसिएट, तसींग, तहसील–बहरोड
जिला–अलवर (राज.)

बनाम

प्राधिकृत अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रवेश तिथि : 09.07.19

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवाओं की गारण्टी अधिनियम–2011

निर्णय

दिनांकः 31.07.19

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने नकल प्रा.पत्र कृषि भूमि को गैर कृषि (आवासीय) में परिवर्तन के लिए के संबंध में प्रार्थना–पत्र दिनांकः 08.09.15 के माध्यम से अनुरोध किया है।
4. अपीलार्थी के अनुसार प्रकरण में पदाभिहित अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र दिनांकः 08.09.2015 पर कोई निर्णय पारित नहीं किये जाने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 29.06.2019 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. प्रथम/RGDPSA अपील/2019/359 दिनांकः 09.07.2019 के माध्यम से पदाभिहित अधिकारी को पेश नवीनतम प्रार्थना–पत्र/पूर्व के दस्तावेजों की प्रति अविलम्ब न्याया0 हाजा में दिनांक 17.07.2019 से पूर्व भिजवाने हेतु लिखा गया, किन्तु अपीलार्थी की ओर से कोई प्रतिउत्तर पेश नहीं किया गया।
6. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांकः 29.06.19 एवं संलग्न नकल प्रा0पत्र दिनांकः 08.09.15 का परीक्षण किया। अपीलार्थी द्वारा नकल प्रा0पत्र दिनांकः 08.09.15 के माध्यम प्रा.पत्र कृषि भूमि को गैर कृषि (आवासीय) में परिवर्तन के लिए अनुरोध किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रा0पत्र दिनांकः 29.06.19 में अपीलार्थी द्वारा वर्णांकन किया कि अपीलार्थी के नकल प्रा0पत्र दिनांक 08.09.15 पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है।
7. उक्त अपील के प्रथम दृष्टया अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रा0पत्र दिनांक 29.06.19 के संलग्नक प्रा0पत्र 08.09.15 पर पदाभिहित अधिकारी को राजस्थान लोक सेवाओं की गारण्टी अधिनियम–2011 के अंतर्गत सेवा में 30 दिवस के अंदर सेवा प्रदान करनी चाहिए तथा नियत समय–सीमा के बाद अंदर 30 दिवस में प्रथम अपील प्रस्तुत करनी थी। किन्तु अपीलार्थी द्वारा नियत समय–सीमा के बाद कोई प्रथम अपील पेश नहीं की गई। अपीलार्थी द्वारा मियाद गुजरने के पश्चात् अपील पेश की गई है।
8. उक्त आलोक में राजस्थान लोक सेवाओं की गारण्टी अधिनियम–2011 के तहत प्राप्त उक्त प्रथम अपील खारिज की जाती है। किन्तु पदाभिहित अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार के आवेदन का नियत समय–सीमा में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा ऐसी स्थिति में अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के उल्लघंन किए जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR ... अलवर (राज.) ALWAR (RAJ.)

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)